

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No.
123/2026

in

S.B. Criminal Revision Petition No. 441/2026

Laxman S/o Chetram, Aged About 36 Years, R/o Dohli, Police
Staiton Ramgarh, District Alwar (Rajasthan) (Presently Confined
In Jail Kishangarhbas)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Suresh Kumar with Ms. Vijay Laxmi Jangid
For Respondent(s)	: Mr. Sudesh Kumar Saini, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/03/2026

याची/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय—न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढबास, जिला अलवर (राजस्थान) द्वारा आपराधिक मूल प्रकरण
संख्या—263/2012, सरकार बनाम लक्ष्मण में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक
14.08.2019 व अपीलीय न्यायालय—जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, जिला
खैरथल—तिजारा (राजस्थान) द्वारा दण्डिक अपील संख्या 15/2025, लक्ष्मण
बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 24.02.2026 के
विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा
अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित
अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी निवेदन है कि विचारण के दौरान वह कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा तत्पश्चात् वह जमानत पर आजाद रहा है। वह निर्णय की दिनांक 24.02.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस निगरानी याचिका में याची-अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, प्रस्तुत निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **27.04.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याची/अभियुक्त **लक्ष्मण पुत्र चेताराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /119-s